R.M.M. Law College Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part IInd
Paper VIth

Environmental Law

केन्द्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्तियाँ एवं कृत्य (धारा 16 एवं 18)

केन्द्रीय बोर्ड के कृत्य (धारा-16 एवं 18)'-

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 का संख्यांक 6) के अधीन कृत्यों के पालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय बोर्ड का मुख्य कृत्य यह होगा कि वह देश में वायु के गुणों में अभिवृद्धि और वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण अथवा उपशमन करें।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी कृत्य की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय बोर्ड -

(क) वायु के गुणों में अभिवृद्धि और वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण अथवा उपशमन के लिए सम्बन्धित विषय पर केन्द्रीय सरकार को सलाह दे सकेगा;

(ख) वायु प्रदूषण के निवारण नियंत्रण अथवा उपशमन के लिए राष्ट्र स्तर पर योजना बनाना और निष्पादित करा सकेगा;

(ग) राज्य के क्रिया-कलापों में समन्वय करना और उनके बीच के विवादों का निपटारा कर सकेगा;

(घ) राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता देना और उनके मार्ग-दर्शन करना, वायु प्रदूषण की तथा वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण अथवा उपशमन की समस्याओं से सम्बन्धित अन्वेषण और अनुसन्धान क्रियान्वित और प्रायोजित कर सकेगा;

(घघ) किसी राज्य बोर्ड के कृत्यों में से ऐसे का निर्वहन कर सकेगा, जैसा कि धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन किये गये आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ङ) वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण अथवा उपशमन के कार्यक्रमों में लगे हुए या लगाये जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की ऐसे निबन्धन और शर्तों पर योजना बना सकेगा और उसे संचालित करना जिन्हें केन्द्रीय बोर्ड विनिर्दिष्ट करे;

(च) वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण अथवा उपशमन के बारे में जन संपर्क के माध्यम से व्यापक कार्यक्रम चला सकेगा;

(छ) वायु प्रदूषण से और उसके प्रभावी निवारण नियंत्रण या उपशमन के लिए प्रक्रियात्मक उपायों से सम्बन्धित तकनीकी और सांख्यिकी आँकड़े एकत्र; संकलित और प्रकाशित करना और निर्देशिकाएँ संहिताएँ या पथ-प्रदर्शिकाएँ तैयार करना और उनसे सम्बद्ध जानकारी का प्रसार कर सकेगा;

(ज) वायु के गुणों के लिए मानक निर्धारित कर सकेगा।

(झ) वायु के गुणों के लिए मानक निर्धारित कर सकेगा।

Scanned with CamScanner

(क) आगे, प्रयोग से सम्बन्धित जानकारी एकत्र करना और प्रकाशित कर सकेगा;
(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किये जायें।
(3) केन्द्रीय बोर्ड इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापालन करने के लिए, अपने को समर्थ बनाने के लिए एक या अधिक प्रयोगशालाएँ स्थापित कर सकेगा या मान्यता दे सकेगा।
(4) केन्द्रीय बोर्ड:-
(क) साधारणतया अथवा विशिष्टतया अपने द्वारा नियुक्त समितियों को इस अधिनियम के अधीन कृत्यों में से किसी को भी प्रत्यायोजित कर सकता है;
(ख) सामान्यतया इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से अपने कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा अन्य कोई भी कार्य कर सकेगा, जो आवश्यक समझे।
केन्द्रीय बोर्ड का दायित्व (धारा 18) - धारा-18 के अंतर्गत केन्द्रीय बोर्ड पर केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अनुपालन की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में निम्न नियम हैं:-
(1) केन्द्रीय सरकार के निदेशों से केन्द्रीय बोर्ड का आबद्ध होना [18(1)क] - केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप से जारी निदेशों से केन्द्रीय बोर्ड आबद्ध होगा।
(2) कतिपय परिस्थितियों में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा राज्य बोर्ड के कार्यों का निर्वहन [धारा 18 (ख)] जहाँ केन्द्र सरकार की राय है कि किसी राज्य बोर्ड ने उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय

(4)

बोर्ड द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया है और ऐसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है और लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह आदेश द्वारा केन्द्रीय बोर्ड को ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, राज्य बोर्ड के कृत्यों में से किसी का निर्वहन करने का निदेश दे सकेगा।

इसके अतिरिक्त धारा 18 केन्द्रीय बोर्ड अन्तर्निहित शक्तियों को भू. राज्य या लोक आयोग के रूप में बढ़ाया सकेगा [धारा 18(3)]